

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 475 / 2012
संस्थान दिनांक 17.10.2012

म0प्र0 राज्य द्वारा आबकारी विभाग वृत्त अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

रतनसिंह पिता गंगाराम भिलाला, आयु 48 वर्ष
निवासी-ग्राम पान्याखेड़ी, तहसील अंजड़,
जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्त

// निर्णय //

(आज दिनांक 29.04.2015 को घोषित)

1. आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 207 / 2012 अंतर्गत म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) में दिनांक 17.10.2012 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध दिनांक 08.09.2012 को समय दोपहर 02:00 बजे, ग्राम पान्याखेड़ी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक डिब्बे (केन) में लगभग 09 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी रखे हुए पाये जाने के संबंध में अभियुक्त पर म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
3. परिवादी का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 08.09.2012 को आबकारी उपनिरीक्षक श्री नफीस खान को गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अवैध रूप से मदिरा का विक्रय कर रहा है। सूचना पर विश्वास कर अभियुक्त के रिहायसी मकान पहुँचकर अभियुक्त को प्रदर्शनी 2 के अनुसार आबकारी उपनिरीक्षक श्री नफीस खान ने अपनी जामा तलाशी साक्षियों के समक्ष विधिवत देकर अभियुक्त के आधिपत्य से एक

प्लास्टिक के डिब्बे (केन) में हाथ भट्टी मदिरा 09 लीटर बरामद की गई, जिसे जप्त कर प्रदर्शपी 1 का जप्ती पंचनामा बनाया तथा अभियुक्त रतन को गिरफ्तार कर प्रदर्शपी 3 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाया, तत्पश्चात् आबकारी विभाग वृत्त अंजड़ ने अपराध क्रमांक 207/2012 अंतर्गत धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम में अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग पत्र/परिवाद पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोग पत्र/परिवाद पत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री मसूद एहमद खान, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी अंजड़ द्वारा अभियुक्त रतन के विरुद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है।

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त दिनांक 08.09.2012 को समय दोपहर 02:00 बजे, ग्राम पान्याखेड़ी में अपने आधिपत्य में अवैध रूप से बिना अनुमति के एक प्लास्टिक डिब्बे (केन) में लगभग 09 लीटर हाथ भट्टी मदिरा भरी रखे हुए पाया गया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में चम्पालाल (अ.सा.1), आबकारी उपनिरीक्षक नफीस खान (अ.सा.2) एवं आबकारी आरक्षक हुकुमचंद पाटीदार (अ.सा.3) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार **विचारणीय प्रश्न के संबंध में**

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में आबकारी उपनिरीक्षक नफीस एहमद खान अ.सा. 2 ने बताया कि दिनांक 08.09.2012 को वह आबकारी वृत्त विभाग अंजड़ में उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को गश्त के दौरान मुखबिर से प्राप्त सूचना पर अभियुक्त उसके मकान में उपस्थित हुआ था और साक्षियों को बुलाकर मुखबिर की सूचना से अवगत कराया था एवं साक्ष्य हेतु सहयोग मांगा था। अभियुक्त रतन को आवाज देकर बुलाया था और उसके बाहर आने पर मुखबिर से प्राप्त सूचना से अवगत कराकर अपनी जामा तलाशी अभियुक्त को दी, जिसका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का

बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियुक्त के मकान की विधिवत् तलाशी लेने पर उसके मकान के कमरे के सामने की ओर एक प्लास्टिक की केन बरामत हुई, जिसमें तरल पदार्थ भरा हुआ पाया था। उक्त तरल पदार्थ को उसके द्वारा देखकर, सुघंकर, चखकर एवं यंत्रों द्वारा विधिवत् परीक्षण करने पर उक्त तरल पदार्थ हाथ भट्टी मदिरा होना पाया था और मापने पर हाथ भट्टी मदिरा लगभग 09 लीटर होना पाई थी, जिसे प्रदर्शपी 1 के अनुसार जप्त किया था और पंचनामा बनाया था। उसने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था। अभियुक्त की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि यदि कोई व्यक्ति मदिरा विक्रय करता है तो वह ग्लास एवं मदिरा के साथ खाने का सामान भी रखता है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसने ग्लास एवं खाने की सामग्री जप्त नहीं की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने अभियुक्त के मकान के संबंध में कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किये थे। उसका स्टॉफ अभियुक्त का मकान पूर्व से ही जानते थे। उसने साक्षी चम्पालाल से अभियुक्त के मकान के संबंध में पूछताछ की थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि अभियुक्त के मकान में उसकी पत्नी एवं बच्चे भी रहते हैं, लेकिन उस समय अभियुक्त अकेला था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह मदिरापान नहीं करता है। उसने साक्षी चम्पालाल को मदिरा चखने के लिए नहीं दी थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 1 में मदिरा को चखने, सूंघने एवं यंत्रों द्वारा परीक्षण करने का उल्लेख नहीं किया है और जाँच प्रतिवेदन की रिपोर्ट भी पेश नहीं की है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरक्षक हुकुमचंद एवं चम्पालाल से कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि प्रदर्शपी 2 एवं 4 के पंचनामों उसकी हस्तलिपि में नहीं है लेकिन साक्षी ने स्पष्ट किया कि उसने अपने निर्देशन में अपने अधीनस्थ कर्मचारी से लिखवाये हैं। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि वह असत्य कथन कर रहा है।

8. आबकारी आरक्षक हुकुमचंद पाटीदार अ.सा. 3 ने आबकारी उपनिरीक्षक श्री नफीस खान के साथ गश्त पर जाने एवं अभियुक्त के मकान की तलाशी लेने पर परिवादी श्री नफीस खान द्वारा उसके निवास स्थान से कच्ची हाथ भट्टी मदिरा 09 लीटर जप्त करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वे लोग ग्राम पान्या शासकीय वाहन से गये थे, तथा ग्राम पान्या अंजड़ से 20-22 किलोमीटर की दूरी पर है। अभियुक्त को आवाज देकर बहार बुलाया था, उसकी पत्नी एवं बच्चे भी घर पर थे तथा उनके साथ कोई महिला आरक्षक नहीं थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि परिवादी ने जिस मकान से मदिरा जप्त की थी उसके स्वामित्व के संबंध में कोई भी दस्तावेज नहीं देखे थे। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियोग पत्र उसकी हस्तलिपि में है।

9. चम्पालाल अ.सा. 1 जो कि जप्ती पंचनामों का साक्षी है, ने अभियुक्त को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के समर्थन में नहीं किये हैं। साक्षी ने प्रदर्शपी 1 से 3 पर अपने हस्ताक्षर स्वीकार किये हैं। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दिनांक 08.02.2012 को दोपहर लगभग 2 बजे ग्राम पान्या खेड़ी में आबकारी विभाग वालों ने अभियुक्त के आधिपत्य से एक प्लास्टिक के डिब्बे में हाथ भट्टी मदिरा जप्त की थी। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने हस्ताक्षर आबकारी उपनिरीक्षक के कहने से उनके कार्यालय में किये थे।

10. ऐसी स्थिति में जबकि अभियुक्त से मदिरा जप्त करने के पंचसाक्षी चम्पालाल अ.सा. 1 अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया है और अपने सामने अभियुक्त से उक्त मदिरा जप्त करने से स्पष्ट इंकार किया है। यहाँ तक कि जिस स्थान से अभियुक्त से मदिरा जप्त होना बताया है वह स्थान अभियुक्त के स्वत्व या आधिपत्य होने के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य पेश नहीं की है। ऐसी स्थिति में युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि परिवादी श्री नफीस एहमद खान ने अभियुक्त रतन के निवास स्थान से उसके आधिपत्य में 09 लीटर अवैध हाथ भट्टी मदिरा जप्त की थी।

11. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त रतन के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाया जाता है। अतएव अभियुक्त रतन को संदेह का लाभ देते हुए धारा म.प्र. आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34 (1) (क) अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उसके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

12. प्रकरण में जप्तशुदा एक प्लास्टिक की केन में 09 लीटर हाथ भट्टी मदिरा मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में उक्त जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाये

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

